रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, सोमवार, 13 अप्रैल, 1987/चैत्र 23, 1909
No. 78] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 1987/CHAITRA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल, 1987

संकल्प

सं. ई(आर बी 1/87/11/2 .—भारत सरकार ने सचिव रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन अपर सचिव के पद पर नियुक्ति की नीति की समीक्षा की है ताकि उनका कार्यकाल अनावश्यक रूप से अल्प न हो तथा पद के कार्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो ।

2. सचिव रेलवे बोर्ड का पद भरते समय निम्नलिखित मानदंड ध्यान में रखे जायें :—

(1) अधिकारी भारतीय रेलों पर ग्रुप "ए" की किसी सेवा में (चिकित्सा और सुरक्षा विभागों को छोड़कर) वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड में हो जिसकी उस ग्रेड में कम से कम एक वर्ष की सेवा हो ।

(2) अधिकारी के कार्यनिष्पादन का रिकार्ड ऐसा हो जिससे महाप्रबन्धक (मेन लाइन) के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सिद्ध होती हो जैसा कि इस समय है बशर्ते कि कार्यनिष्पादन निरन्तर संतोषजनक हो ।

(3) सचिव, रेलवे बोर्ड के पद की रिक्ति के समय अधिकारी की अधिवर्षिता में कम से कम चार वर्ष का समय बाकी हो ताकि वह महाप्रबन्धक के पद पर सम्भावित प्रोन्नति से पूर्व सचिव रेलवे बोर्ड के पद पर कम से कम दो वर्ष के लिए उपलब्ध हो ।

3. उपर्युक्त प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान में, यदि जनहित में आवश्यक समझा जाये तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से यथापेक्षित सीमा तक छूट दी जा सकती है । इस प्रकार दी गयी कोई छूट सचिव रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के ध्यान में विशेष तौर पर लायी जायेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि विभिन्न ग्रुप "ए" सेवाओं के सदस्यों में परिपत्रित की जाये ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

प्रकाश नारायण, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव
रेल मंत्रालय ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 13th April, 1987

RESOLUTION

No. ERB-1|87|11|2.—The Government of India have reviewed the policy for appointment to the post of Secretary, Railway Board and ex-officio Additional Secretary to the Government of India from

the point of view of avoiding unduly short tenures and to meet the needs of the job content of the post.

2. The following norms may be kept in view while filling up of the post of Secretary, Railway Board :—

(1) The officer should be in the Senior Administrative Grade of any of the Group 'A' Services of the Indian Railways, (except Medical and Security), with at least one year service in that grade.

(2) The performance record of the Officer should be such as would support promotion to the post of General Manager (Open Line), as at present, subject to continued satisfactory performance.

(3) The officer should have at least 4 years for superannuation at the time of the occurrence of the vacancy of Secretary, Railway Board so that he may be available for at least 2 years in the post of Secretary, Railway Board, prior to his expected promotion as General Manager.

3. Any of the above mentioned provisions may, if considered expedient in the public interest, be relaxed to the extent necessary in consultation with the Department of Personnel and Training. Any such relaxation shall be specifically brought to the notice of the Appointments Committee of the Cabinet while recommending appointment to the post of Secretary, Railway Board.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be circulated among the members of various Group 'A' Services.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRAKASH NARAIN, Chairman
Railway Board & Ex-officio Principal Secretary,
Government of India
Ministry of Railways

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987